

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

05 DEC 2016

६५४ (३०)

विहार द्वारा लागू की जा रही विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति गठन की व्यवस्था है। जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के कार्यों को और प्रभावकारी बनाने के उद्देश्य से पूर्व में निर्गत सभी विभागीय संकल्प/अधिसूचना द्वारा की गयी व्यवस्था को अवक्रमित करते हुए राज्य सरकार ने सम्यक् विचारोपरांत निम्नरूपेण जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के पुनर्गठन तथा तत्संबंधी अव्य व्यवस्था करने का निर्णय लिया है।

--:: संकल्प ::--

दिनांक 18.11.2016

- विभिन्न निम्नांकित सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तिथि से अगले आदेश तक मान्य होगा। इस समिति के निम्नांकित सदस्य होंगे :-*
2. जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का गठन निम्नांकित रूप से किया जाता है। समिति के


क्रमांक	नाम	पदनाम
1.	जिला के प्रभारी मंत्री	अध्यक्ष
2.	मुख्य मंत्री द्वारा नामित	तीन उपाध्यक्ष
3.	जिला के लोक सभा सदस्य	पदेन सदस्य
4.	जिला के वैसे राज्य सभा के सदस्य जिनका गृह जिला प्रश्नगत जिला में अवस्थित हो।	पदेन सदस्य
5.	जिला के विधान सभा के सभी सदस्य	पदेन सदस्य
6.	जिला के वैसे विधान परिषद् के सदस्य, जिनका गृह जिला प्रश्नगत जिला में अवस्थित हो।	पदेन सदस्य
7.	जिला परिषद् के अध्यक्ष।	पदेन सदस्य
8.	जिला नगर निगम के महापौर/नगर परिषद/नगर पंचायत के अध्यक्ष	पदेन सदस्य
9.	मुख्य मंत्री द्वारा नामित 30 सदस्य होंगे, जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति के अलावा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं महिला वर्ग के प्रतिनिधि भी अवश्य हों।	सदस्य
10	जिला पदाधिकारी	सदस्य सचिव

3. इसके अतिरिक्त उप विकास आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी जिला स्तरीय प्रशासनिक एवं तकनीकी पदाधिकारी, जिला अग्रणी बैंक के प्रबंधक, जिला में अवस्थित विभिन्न बैंकों के जिला समव्यक्त तथा नाबाड़ के डी०डी०एम० पदेन सदस्य होंगे।

3.1. अध्यक्ष (प्रभारी मंत्री) की स्वीकृति से समिति की बैठक प्रत्येक माह में एक बार होगी।

4. यह बैठक दो सत्रों में हागी। पहले सत्र में जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समितियों के कार्यवाही प्रतिवेदन एवं अनुपालन प्रतिवेदन के साथ प्रखंडों में नियमित बैठक हो रही है या नहीं, इसकी समीक्षा की जाएगी, जिसमें प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के अध्यक्ष तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी भी भाग लेंगे।

प्रत्येक बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी से, किसी मामले में हुई अनियमितता से अथवा पदाधिकारियों के विलुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा के संबंध में सदस्य सचिव (जिला पदाधिकारी) संबंधित विभाग को प्रतिवेदन सौंपेंगे। प्रखंड स्तर पर दिए गए प्रतिवेदन की समीक्षा हेतु जिला स्तर पर एक कोषांग गठित किया जायेगा।



5. जिला स्तरीय समिति के कृत्य एवं दायित्व :
- 5.1 राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं की मदवार समीक्षा (अनुलग्नक 'क' पर सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं की सांकेतिक सूची संलग्न है)।
- 5.2 बीस-सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा (अनुलग्नक 'ख')।
- 5.3 राज्य सरकार के सात निश्चय एवं सुशासन के कार्यक्रम 2015-20 के कार्यान्वयन की समीक्षा।
- 5.4 खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा।
- 5.5 योजना एवं विकास, श्रम-संसाधन, सूचना प्रावैद्यिकी, विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अंतर्गत जनहित की योजनाएँ।
- 5.6 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, नगर विकास एवं आवास, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत जनहित की सभी योजनाएँ।
- 5.7 समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित सभी जनोपयोगी योजनाएँ।
- 5.8 सहकारिता, पशु एवं मत्स्य संसाधन, पर्यावरण एवं वन, लघु जल संसाधन, राजस्व एवं भूमि सुधार से संबंधित जनोपयोगी योजनाएँ।
- 5.9 उद्योग, पर्यटन, गन्ना उद्योग विभाग से संबंधित जनोपयोगी योजनाएँ।
- 5.10 पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग से संबंधित जनोपयोगी योजनाएँ।
- 5.11 मनरेगा, इन्दिरा आवास एवं आजीविका मिशन के क्रियान्वयन की समीक्षा।
- 5.12 कृषि रोड मैप अंतर्गत योजनाओं (बैंकों के सहयोग पर आधारित योजनाओं सहित) के कार्यान्वयन की समीक्षा।
- 5.13 बिहार भू-जल सिंचाई योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा।
- 5.14 ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के अलावा ग्रामीण कार्य विभाग के तथा अन्य ग्रामीण पथ एवं पुल-पुलिया से संबंधित योजनाओं की समीक्षा।
- 5.15 शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पेयजल योजनाओं की समीक्षा।
- 5.16 वन विस्तार के अलावा हॉर्टिकल्चर मिशन को बड़े पैमाने पर लागू करने की दिशा में पहल।
- 5.17 बेरोजगारी से निपटने के लिए स्वयं सहायता समूह एवं स्वरोजगार संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन पर विचार।

5.18 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अलासंख्यकों एवं भूमिहीनों को कृषि/ग्रामीण विकास/राजस्व एवं भूमि सुधार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं के अलावा इन्हें स्वयं सहायता समूह में संगठित करने की समीक्षा।

5.19 बैंकों द्वारा विभिन्न श्रोतों से वित्त पोषित बड़ी-बड़ी योजनाओं की समीक्षा, जिसमें नाबांड की आरोआईडीएफ० योजना भी सम्मिलित होगी।

5.20 अध्यक्ष महोदय के निदेश पर अन्वान्य बिन्दु।

6. जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के तीनों उपाध्यक्षों के लिए संयुक्त रूप से एक कमरे का कार्यालय कक्ष उपलब्ध कराया जाएगा। तीनों उपाध्यक्षों की सहायता के लिए संयुक्त रूप में उपलब्ध कार्यबल से ही अंशकालिक रूप से एक डाटा ऑपरेटर अथवा लिपिक तथा एक अनुसेवक की सेवा सदस्य सचिव द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। इस हेतु कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी।

7. बैंक में भाग लेने के लिए सरकारी सदस्यों, सांसदों, विधान मंडल के सदस्यों को छोड़कर शेष के लिए दैनिक भत्ता के रूप में ₹200/- (दो सौ रुपये) तथा यात्रा-भत्ता ₹500/- (पाँच सौ पचास रुपये) प्रति बैंक देय होगा। दैनिक भत्ता/यात्रा-भत्ता उन्हें समिति की बैंक में भाग लेने पर ही अनुमान्य होगा।

8. तीनों उपाध्यक्षों को नियत आतिथ्य भत्ता के रूप में ₹1000/- (एक हजार रुपये) मात्र प्रतिमाह देय होगा।

9. जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के तीनों उपाध्यक्षों को अपने क्षेत्राधिकार के अंदर कार्यक्रम कार्यान्वयन से संबंधित कार्यों के खल अध्ययन (यदि आवश्यक हो) हेतु की जाने वाली यात्रा के लिए महीने में एक-एक दिन परिवहन की सुविधा (भाड़े की गाड़ी) एक सप्ताह पूर्व प्राप्त उपाध्यक्षों की अधियाचनानुसार जिला पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

10. अध्यक्ष के निदेश पर कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन हेतु उप समिति गठित की जा सकेगी, लेकिन इसका कार्य एवं दायित्व किसी विशेष प्रयोजन के लिए ही होगा।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए इसे बिहार राजपत्र में प्रकाशित कराया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

अनु० :- यथोक्त।

ब्रजेश मेहरोत्रा १४/११/१६
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-4/म०स०का०का०(गट्ठ)०१/२०११(पार्ट-१)३५३..... पट्टना-१५, दिनांक १४.११.२०१६.....

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, पट्टना/सभी मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्रीगण एवं अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति को सूचनार्थ प्रेषित।

ब्रजेश मेहरोत्रा १४/११/१६
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-4/मंसंकांका०(गठन)01/2011(पार्ट-1).....३८३... पटना-15, दिनांक 18-11-2016

प्रतिलिपि - मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/अध्यक्ष एवं सदस्य, राजस्व पर्षद/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, वंश/उप मुख्य मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

१८/११/१६

(ब्रजेश महरोत्रा)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-4/मंसंकांका०(गठन)01/2011/.....३८३... पटना-15, दिनांक 18-11-2016

प्रतिलिपि - सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी जिला के उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ।

2. जिला पदाधिकारी अपने अनुमंडल पदाधिकारियों/जिला के तकनीकी पदाधिकारियों को इसकी एक प्रति उपलब्ध करायेंगे। इसी तरह आरक्षी अधीक्षक अपने सभी आरक्षी उपाधीक्षकों को इसकी प्रति उपलब्ध करायेंगे।

१८/११/१६

(ब्रजेश महरोत्रा)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-4/मंसंकांका०(गठन)01/2011(पार्ट-1).....३८३... पटना-15, दिनांक 18-11-2016

प्रतिलिपि - राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबांग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि संकल्प का 1000 (एक हजार) प्रतियाँ अविलंब मुद्रित कर इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

१८/११/१६

(ब्रजेश महरोत्रा)

सरकार के प्रधान सचिव



बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

-:: संकल्प ::-

दिनांक 18.11.2016

अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ करने, कमजोर वर्गों के परिवारों को सहायता दिलाने तथा राज्य सरकार द्वारा लागू की जा रही विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के गठन की व्यवस्था है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के कार्यों को और प्रभावकारी बनाने के उद्देश्य से पूर्व में निर्गत सभी विभागीय संकल्प/अधिसूचना द्वारा की गयी व्यवस्था को निरस्त करते हुए राज्य सरकार ने सम्यक् विचारोपरांत निम्नलिखित राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के पुनर्गठन तथा तत्संबंधी अन्य व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है।

2. राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का गठन निम्नांकित रूप से किया जाता है। समिति के सभी मनोनीत/नामित उपाध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तिथि से अगले आदेश तक मान्य होगा। इस समिति के निम्नांकित सदस्य होंगे :-

क्रमांक	नाम	पदनाम
1.	मुख्य मंत्री, बिहार	अध्यक्ष
2.	उप मुख्य मंत्री, बिहार	कार्यकारी अध्यक्ष
3.	मुख्य मंत्री द्वारा मनोनीत	तीन उपाध्यक्ष
4.	सभी मंत्री/राज्य मंत्री	सदस्य
5.	मुख्य मंत्री द्वारा नामित 30 सदस्य	सदस्य
6.	भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक	सदस्य
7.	लीड बैंकों के राज्यस्तरीय प्रमुख पदाधिकारी	सदस्य

3. इसके अलावा मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/मुख्य प्रबंध निदेशक, पावर होलिंग कम्पनी लिमिटेड एवं सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिवगण तथा पुलिस महानिदेशक समिति के स्थायी पदेन सदस्य होंगे।

- 3.1 प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग इस समिति के पदेन सचिव होंगे।
- 4. अध्यक्ष की स्वीकृति से समिति की बैठक बुलाई जायेगी।
- 5. राज्य स्तरीय समिति के कृत्य एवं दायित्व :
 - 5.1 राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं की मदवार समीक्षा (अनुलग्नक 'क' पर सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं की सांकेतिक सूची संलग्न है)।
 - 5.2 वीस-सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा (अनुलग्नक 'ख')।
 - 5.3 राज्य सरकार के सात निश्चय एवं सुशासन के कार्यक्रम 2015-20 के कार्यान्वयन की समीक्षा।

- 5.4 खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा।
- 5.5 योजना एवं विकास, श्रम-संसाधन, सूचना प्रावैद्यिकी, विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी, कला, संस्कृत एवं युवा विभाग के अंतर्गत जनहित की योजनाएँ।
- 5.6 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, नगर विकास एवं आवास, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत जनहित की सभी योजनाएँ।
- 5.7 समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित सभी जनोपयोगी योजनाएँ।
- 5.8 सहकारिता, पशु एवं मत्स्य संसाधन, पर्यावरण एवं वन, लघु जल संसाधन, राजस्व एवं भूमि सुधार से संबंधित जनोपयोगी योजनाएँ।
- 5.9 उद्योग, पर्यटन, गन्ना उद्योग विभाग से संबंधित जनोपयोगी योजनाएँ।
- 5.10 पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग से संबंधित जनोपयोगी योजनाएँ।
- 5.11 मनरेगा, इन्दिरा आवास एवं आजीविका मिशन के क्रियान्वयन की समीक्षा।
- 5.12 कृषि रोड मैप के अंतर्गत योजनाओं (बैंकों के सहयोग पर आधारित योजनाओं सहित) के कार्यान्वयन की समीक्षा।
- 5.13 बिहार भू-जल सिंचाई योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा।
- 5.14 ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के अलावा ग्रामीण कार्य विभाग के तथा अन्य ग्रामीण पथ एवं पुल-पुलिया से संबंधित योजनाओं की समीक्षा।
- 5.15 शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पेयजल योजनाओं की समीक्षा।
- 5.16 वन विरतार के अलावा हॉर्टिकल्चर मिशन को बड़े पैमाने पर लागू करने की दिशा में पहल।
- 5.17 बेरोजगारी से निपटने के लिए स्वयं सहायता समूह एवं स्वरोजगार संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन पर विचार।
- 5.18 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यकों एवं भूमिहीनों को कृषि/ग्रामीण विकास/राजस्व एवं भूमि सुधार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं के अलावा इन्हें स्वयं सहायता समूह में संगठित करने की समीक्षा।
- 5.19 बैंकों द्वारा विभिन्न श्रोतों से वित्त पोषित बड़ी-बड़ी योजनाओं की समीक्षा, जिसमें नाबाई की आर०आई०डी०एफ० योजना भी सम्मिलित होगी।
- 5.20 अध्यक्ष महोदय के निदेश पर अन्यान्य बिन्दु।
6. तीनों उपाध्यक्ष निःशुल्क एवं सुंसज्जित आवास के हकदार होंगे। आवास तथा आवास के रख-रखाव की जिम्मागारी भवन निर्माण विभाग की होगी। उपाध्यक्षों को किस स्तर की सुविधा देय होगी, इसे मुख्य मंत्री द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

7. बैठक में भाग लेने के लिए सरकारी सदस्यों, सांसदों, विधान मंडल के सदस्यों को छोड़कर शेष के लिए दैनिक भत्ता के रूप में ₹300/- (तीन सौ रुपये) तथा यात्रा-भत्ता ₹1500/- (एक हजार पाँच सौ रुपये) प्रति बैठक देय होगा। दैनिक भत्ता/यात्रा-भत्ता उन्हें समिति की बैठक में भाग लेने पर ही अनुमान्य होगा।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए इसे बिहार राजपत्र में प्रकाशित कराया जाय।

अनु० :- यथोक्त।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

१८/११/१६
(ब्रजेश महरोत्रा)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक 4/मं०स०का०का०(गठन)०१/२०११(पार्ट-१).....३८२..... पटना-१५, दिनांक १८.११.२०१६.....

प्रतिलिपि - सभी मंत्री/राज्य मंत्री/उपाध्यक्ष, राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति को सूचनार्थ प्रेषित।

१८/११/१६
(ब्रजेश महरोत्रा)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-४/मं०स०का०का०(गठन)०१/२०११(पार्ट-१).....३८२..... पटना-१५, दिनांक १८.११.२०१६.....

प्रतिलिपि - मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/अध्यक्ष एवं सदस्य, राजस्व पर्षद/अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/सचिव/उप मुख्य मंत्री के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

१८/११/१६
(ब्रजेश महरोत्रा)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-४/मं०स०का०का०(गठन)०१/२०११(पार्ट-१).....३८२..... पटना-१५, दिनांक १८.११.२०१६.....

प्रतिलिपि - सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी अपने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों एवं आरक्षी अधीक्षक अपने सभी आरक्षी उपाधीक्षकों को अपने स्तर से इसकी प्रति उपलब्ध करायेंगे।

१८/११/१६
(ब्रजेश महरोत्रा)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-४/मं०स०का०का०(गठन)०१/२०११(पार्ट-१).....३८२..... पटना-१५, दिनांक १८.११.२०१६.....

प्रतिलिपि - राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि संकल्प का 1000 (एक हजार) प्रतियाँ अविलंब मुद्रित कर इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

१८/११/१६
(ब्रजेश महरोत्रा)

सरकार के प्रधान सचिव

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

-:: संकल्प ::-

दिनांक 18.11.2016

अर्थ-व्यवस्था को सुटूँढ़ करने, कमजोर वर्गों के परिवारों को सहायता दिलाने हेतु तथा राज्य सरकार द्वारा लागू की जा रही विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति गठन की व्यवस्था है। प्रखण्ड स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के कार्यों को और प्रभावकारी बनाने के उद्देश्य से पूर्व में निर्गत सभी विभागीय संकल्प/अधिसूचना द्वारा की गयी व्यवस्था को अवक्रमित करते हुए राज्य सरकार ने सम्यक् विचारोपरांत निम्नलिपेण प्रखण्ड स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के पुनर्गठन तथा तत्संबंधी अन्य व्यवस्था करने का निर्णय लिया है।

2. प्रखण्ड स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का गठन निम्नांकित रूप से किया जाता है। समिति के मनोनीत/नामित सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तिथि से अगले आदेश तक मान्य होगा। इस समिति के निम्नांकित सदस्य होंगे :-

क्रमांक	नाम	पदनाम
1.	मुख्य मंत्री द्वारा नामित	अध्यक्ष
2.	मुख्य मंत्री द्वारा नामित	दो उपाध्यक्ष
3.	प्रखण्ड के लोक सभा के सदस्य	सदस्य
4.	प्रखण्ड के राज्य सभा के वैसे सदस्य जिनका गृह प्रखण्ड प्रश्नगत प्रखण्ड में अवस्थित हो।	सदस्य
5.	प्रखण्ड के विधान सभा के सदस्य	सदस्य
6.	प्रखण्ड से विधान परिषद् के ऐसे सदस्य जिनका गृह प्रखण्ड प्रश्नगत प्रखण्ड में अवस्थित हो।	सदस्य
7.	पंचायत समिति के अध्यक्ष	सदस्य
8.	मुख्य मंत्री द्वारा नामित 20 सदस्य होंगे, जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं महिला वर्ग के भी प्रतिनिधि होंगे।	सदस्य
9.	अनुमंडल स्तरीय सभी प्रशासनिक/तकनीकी पदाधिकारी सहित प्रखण्ड के सभी क्षेत्रीय/तकनीकी पदाधिकारी	सदस्य
10.	प्रखण्ड में कार्यरत विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक	सदस्य
11.	अंचल अधिकारी	सदस्य
12.	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	सदस्य सचिव

3. प्रखण्ड स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक प्रत्येक दो माह में कम से कम एक बार होगी। बैठक की सूचना सदस्य सचिव (प्रखण्ड विकास पदाधिकारी) अध्यक्ष की राय से एक सप्ताह पूर्व संसूचित करेंगे। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष चक्राक्रम में बैठक की अध्यक्षता करेंगे। समिति के सदस्य सचिव बैठक के उपरांत बैठक की कार्यवाही एक सप्ताह के अंदर सभी सदस्यों तथा जिला पदाधिकारी को उपलब्ध कराएँगे। अगली बैठक में, पूर्व की बैठक में लिए गए निर्णयों का अनुपालन प्रतिवेदन समिति के विचारार्थ रखा जाएगा। कार्यवाही की एक प्रति अनुपालन प्रतिवेदन के साथ जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के सचिव (जिला पदाधिकारी) को भेजी जाएगी। प्रखण्ड स्तर पर एक कोषांग का गठन होगा, जो प्रखण्ड स्तरीय समिति में उठायी गयी समस्याओं की समीक्षा कर जिलापदाधिकारी-सह-सदस्य सचिव, जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति को भेजेंगे।

4. समिति के कृत्य एवं दायित्व :

- 4.1 राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की मदवार समीक्षा (अनुलग्नक 'क' पर सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं की सांकेतिक सूची संलग्न है)।
- 4.2 बीस-सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा (अनुलग्नक 'ख')।
- 4.3 राज्य सरकार के सात निश्चय एवं सुशासन के कार्यक्रम 2015-20 के कार्यान्वयन की समीक्षा।
- 4.4 खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा।
- 4.5 योजना एवं विकास, श्रम-संसाधन, सूचना प्रावैद्यिकी, विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अंतर्गत जनहित की योजनाएँ।
- 4.6 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, नगर विकास एवं आवास, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत जनहित के सभी योजनाएँ।
- 4.7 समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित सभी जनोपयोगी योजनाएँ।
- 4.8 सहकारिता, पशु एवं मत्स्य संसाधन, पर्यावरण एवं वन, लघु जल संसाधन, राजस्व एवं भूमि सुधार से संबंधित जनोपयोगी योजनाएँ।
- 4.9 उद्योग, पर्यटन, गन्ना उद्योग विभाग से संबंधित जनोपयोगी योजनाएँ।
- 4.10 पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग से संबंधित जनोपयोगी योजनाएँ।
- 4.11 मनरेगा, इन्दिरा आवास एवं आजीविका मिशन के क्रियान्वयन की समीक्षा।
- 4.12 कृषि रोड मैप अंतर्गत योजनाओं (बैंकों के सहयोग पर आधारित योजनाओं सहित) के कार्यान्वयन की समीक्षा।
- 4.13 बिहार भू-जल सिंचाई योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा।
- 4.14 ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के अलावा ग्रामीण कार्य विभाग के तथा अन्य ग्रामीण पथ एवं पुल-पुलिया से संबंधित योजनाओं की समीक्षा।
- 4.15 शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पेयजल योजनाओं की समीक्षा।
- 4.16 वन विस्तार के अलावा हॉर्टिकल्चर मिशन को बड़े पैमाने पर लागू करने की दिशा में पहल।
- 4.17 बेरोजगारी से निपटने के लिए स्वयं सहायता समूह एवं स्वरोजगार संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन पर विचार।

- 4.18 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यकों एवं भूमिहीनों को कृषि/ग्रामीण विकास/राजस्व एवं भूमि सुधार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं के अलावा इन्हें स्वयं सहायता समूह में संगठित करने की समीक्षा।
- 4.19 बैंकों द्वारा विभिन्न श्रेत्रों से विच पोषित बड़ी-बड़ी योजनाओं की समीक्षा, जिसमें नाबार्ड की आरोआईडीएफो योजना भी समिलित होगी।
- 4.20 अध्यक्ष महोदय के निदेश पर अन्यान्य बिन्दु।

5. प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष के लिए एक एवं दोनों उपाध्यक्षों के लिए एक कार्यालय कक्ष की व्यवस्था की जाएगी, जो उपलब्धता के आधार पर प्रखंड कार्यालय के मुख्य भवन में होगा। प्रखंड कार्यालय भवन में स्थान की कमी होने पर उपलब्धता के आधार पर अन्य भवन में भी व्यवस्था की जा सकती है। अध्यक्ष के कार्य में सहायता के लिए प्रखंड में उपलब्ध कार्यबल से ही अंशकालिक रूप से एक लिपिक तथा एक अनुसेवक की सेवा भी सदस्य सचिव द्वारा प्रदान की जाएगी; इस हेतु कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी तथा दोनों उपाध्यक्षों के कार्य में सहायता के लिए संयुक्त रूप से प्रखंड में उपलब्ध कार्यबल से ही अंशकालिक रूप से एक लिपिक तथा एक अनुसेवक की सेवा भी सदस्य सचिव द्वारा प्रदान की जाएगी; इस हेतु भी कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी।

6. प्रखंड में लागू सभी सरकारी कार्यक्रमों की सूचना समिति के अध्यक्ष, दोनों उपाध्यक्षों एवं समिति के अन्य सदस्यों को सदस्य सचिव द्वारा दी जाएगी।

7. प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं दोनों उपाध्यक्षों को अपने क्षेत्राधिकार के अंदर कार्यक्रम कार्यान्वयन से संबंधित कार्यों के स्थल अध्ययन (यदि आवश्यक हो) हेतु की जाने वाली यात्रा के लिए महीने में एक-एक दिन परिवहन की सुविधा एक सप्ताह पूर्व प्राप्त अध्यक्ष एवं दोनों उपाध्यक्षों की अधियाचनानुसार प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

8. बैंक में भाग लेने के लिए सरकारी सदस्यों, सांसदों, विधान मंडल के सदस्यों को छोड़कर शेष के लिए दैनिक भत्ता के रूप में ₹200/- (दो सौ रुपये) तथा यात्रा-भत्ता ₹50/- (पचास रुपये) प्रति बैंक देय होगा। दैनिक भत्ता/यात्रा-भत्ता उन्हें समिति की बैंक में भाग लेने पर ही अनुमान्य होगा।

9. अध्यक्ष एवं दोनों उपाध्यक्षों को नियत आतिथ्य भत्ता के रूप में ₹500/- (पाँच सौ रुपये) मात्र प्रतिमाह देय होगा।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए इसे बिहार राजपत्र में प्रकाशित कराया जाय।

अनु० :- यथोक्त।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

9/11/16
(ब्रजेश मेहरोत्रा) 18/11/16

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-4/मं०स०का०(गठन)01/2011(पार्ट-1) 384 पटना-15. दिनांक 18/11/2016

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/11/16
(ब्रजेश मेहरोत्रा) 18/11/16

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-4/मंसंकांका०(गठन)01/2011(पार्ट-1)...384... पटना-15, दिनांक 18.11.2016.....

प्रतिलिपि - उप मुख्य मंत्री/सभी मंत्री/राज्य मंत्री एवं उपाध्यक्ष, राज्यस्तरीय कार्यक्रम कार्यालय समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

93/८
(ब्रजेश महरोत्रा)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-4/मंसंकांका०(गठन)01/2011(पार्ट-1)...384... पटना-15, दिनांक 18.11.2016.....

प्रतिलिपि - मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/अध्यक्ष एवं सदस्य, राजस्व पर्षद/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

93/८
(ब्रजेश महरोत्रा)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-4/मंसंकांका०(गठन)01/2011(पार्ट-1)...384... पटना-15, दिनांक 18.11.2016.....

प्रतिलिपि - सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

93/८
(ब्रजेश महरोत्रा) 18/11/16
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-4/मंसंकांका०(गठन)01/2011(पार्ट-1)...384... पटना-15, दिनांक 18.11.2016.....

प्रतिलिपि - सभी जिला पदाधिकारी/आरक्षी अधीक्षक/जिला के उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी से अनुरोध है कि अपने जिला मुख्यालय में कार्यरत सभी विभागों के प्रशासनिक एवं तकनीकी पदाधिकारियों एवं सभी अनुमंडलों/प्रखंडों में कार्यरत क्षेत्रीय पदाधिकारियों/समिति के सभी सदस्यों को भी इसकी प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे। इसी प्रकार आरक्षी अधीक्षक भी अपने सभी संबंधित पदाधिकारियों को इसकी प्रति अपने स्तर से उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।

93/८
(ब्रजेश महरोत्रा) 18/11/16
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-4/मंसंकांका०(गठन)01/2011(पार्ट-1)...384... पटना-15, दिनांक 18.11.2016.....

प्रतिलिपि - राजकीय मुद्रणालय, चुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस संकलप की 1000 (एक हजार) प्रतियाँ अविलम्ब इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

93/८
(ब्रजेश महरोत्रा) 18/11/16
सरकार के प्रधान सचिव

अनुलग्नक-क

कार्यक्रम कार्यान्वयन की दृष्टि से समीक्षा की जानेवाली योजनाओं की सांकेतिक सूची

शिक्षा विभाग	
1	निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण
2	निःशुल्क पोशाक
3	मुख्यमंत्री बालक पोशाक योजना
4	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना
5	मुख्यमंत्री शैक्षणिक परिभ्रमण योजना
6	मध्याहन भोजन योजना (एम०डी०एम०)
7	मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना
8	मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना
9	बिहार स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना – निश्चय
पर्यावरण एवं वन विभाग	
10	कृषि वानिकी एवं वानिकी से संबंधित अन्य सभी योजनाएँ
11	राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (राष्ट्रीय हरित भारत मिशन)
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	
12	गोदाम निर्माण
13	जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा खाद्यान्न/किरासन तेल की आपूर्ति
श्रम संसाधन विभाग	
14	नये आई०टी०आई० की स्थापना
15	महिलाओं के लिए नये आई०टी०आई० की स्थापना
16	बिहार कौशल विकास मिशन
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	
17	अल्पसंख्यक छात्रावास योजना
18	मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना
19	मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण योजना
20	मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	
21	ग्रामीण पाईप जल आपूर्ति योजना – निश्चय पाइप जल योजना
22	लघु पाईप जल आपूर्ति योजना – निश्चय पाइप जल योजना
23	बी०पी०एल० परिवार के लिए शौचालय का निर्माण – निश्चय योजना

24	ए०पी०एल० परिवार के लिए शौचालय का निर्माण – निश्चय योजना
पंचायती राज विभाग	
25	14वें केन्द्रीय वित्त आयोग से संबंधित योजनाएँ
26	चतुर्थ एवं पंचम राज्य वित्त आयोग से संबंधित योजनाएँ
ग्रामीण कार्य विभाग	
27	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (एम०एम०जी०एस०वाई०) – निश्चय योजना
28	नाबार्ड/आर०आई०डी०एफ० द्वारा वित्त संपोषित राज्य योजनाएँ (सड़क एवं पुल-पुलियों का निर्माण)
29	मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना
30	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी०एम०जी०एस०वाई०)
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	
31	अनु० जाति एवं अनु० जनजाति आवासीय विद्यालय योजना
32	बिहार महादलित विकास मिशन द्वारा संचालित योजनाएँ
33	थरुहट क्षेत्र विकास योजना
34	बालक छात्रावास का निर्माण
35	बालिका छात्रावास का निर्माण
समाज कल्याण विभाग	
36	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
37	राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना
38	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
39	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना
40	राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
41	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)
42	निःशक्तजनों के लिए राष्ट्रीय योजना
43	लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
44	बिहार निःशक्तता पेंशन योजना
45	राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
46	कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना
47	मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना
48	मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना
49	मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना
50	समेकित बाल विकास योजना (ICDS)

नगर विकास एवं आवास विभाग

- | | |
|----|---|
| 51 | दीनदयाल अंत्योदय योजना—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन |
| 52 | अटल मिशन फॉर अर्बन रिज्यूविनेशन एण्ड ट्रांस्फॉरमेसन (AMRUT) |
| 53 | सबके लिए आवास |
| 54 | नगर क्षेत्र में पेयजल, शौचालय एवं गली—नाली योजनाओं से संबंधित
— निश्चय |

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

- | | |
|----|--|
| 55 | लड़कियों के लिए छात्रावास का निर्माण |
| 56 | अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास योजना |
| 57 | जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास |

सहकारिता विभाग

- | | |
|----|--|
| 58 | कृषि रोड मैप अन्तर्गत संचालित योजनाएँ |
| 59 | फसल बीमा योजना |
| 60 | पैक्स/व्यापार मंडल में गोदाम निर्माण एवं चावल मिल—सह—
गैसीफायर की स्थापना |

ग्रामीण विकास विभाग

- | | |
|----|---|
| 61 | महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम (मनरेगा) |
| 62 | राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन०आर०एल०एम०) |
| 63 | बिहार आजीविका योजना |
| 64 | इंदिरा आवास योजना |

कृषि विभाग

- | | |
|----|----------------------------------|
| 65 | कृषि रोड मैप से संबंधित योजनाएँ |
| 66 | डीजल अनुदान |
| 67 | कृषि यांत्रिकीकरण |
| 68 | राष्ट्रीय एवं राज्य बागवानी मिशन |

लघु जल संसाधन विभाग

- | | |
|----|--|
| 69 | बिहार शताब्दी निजी नलकूल योजना |
| 70 | नाबार्ड ट्यूबवेल योजना, आर०आई०डी०एफ० के अधीन |

योजना एवं विकास विभाग

- | | |
|----|-------------------------------------|
| 71 | सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP) |
| 72 | मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना |
| 73 | सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना |
| 74 | स्वयं सहायता भत्ता — निश्चय |

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

75	सक्षम कोटि के गृह विहीन परिवारों को वास भूमि की बन्दोबस्ती
76	गैर मजरुआ जमीन की बन्दोबस्ती
77	भूदान बन्दोबस्ती

स्वास्थ्य विभाग

78	जननी बाल सुरक्षा योजना
79	नियमित टीकाकरण
80	स्वास्थ्य केन्द्रों में दी जाने वाली सुविधाएं
81	दवा / चिकित्सक / अन्य कर्मियों की उपलब्धता
82	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का 24 X 7 संचालन
83	कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम
84	नये ANM/GNM/Nursing College एवं Paramedical School की स्थापना

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

85	मुख्यमंत्री खेल विकास योजनान्तर्गत स्टेडियम का निर्माण
86	पुरातात्त्विक स्थलों का संरक्षण, अनुरक्षण एवं सौंदर्यकरण

आपदा प्रबंधन विभाग

87	आपदा प्रभावित परिवारों को सहायता
----	----------------------------------

ऊर्जा विभाग

88	ग्रामीण विद्युतीकरण योजना
89	मुख्यमंत्री विद्युत निश्चय योजना
90.	दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना

गृह विभाग

91	कब्रिस्तान घेराबंदी
92	मंदिर घेराबंदी योजना

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

93	समेकित मुर्गी विकास योजना
94	समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना
95	दुग्ध संग्रहण केन्द्र की स्थापना
96	दुग्ध समितियों का गठन

विज्ञान प्रावैधिकी विभाग

97 सरकारी नये संस्थानों को खोले जाने एवं उसकी स्वीकृति

जल संसाधन विभाग

98 सिंचाई क्षमता का विकास

99 नहर पुनर्स्थापन / आधुनिकीकरण / लाइनिंग कार्य

गन्ना उद्योग विभाग

100 मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम



अन्य (20—सूत्री कार्यक्रम)

अनुलग्नक—ख

01A	मनरेगा योजना के तहत रोजगार सृजन
01A01	निर्गत जॉब कार्ड की संख्या
01A02	सृजित मानवदिवस की संख्या
01A03	दी गई मजदूरी (लाख रु० में)
01F	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन०आर०एल०एम०)
01F01	वित्तीय वर्ष के दौरान प्रोन्नत (नया एवं पुनरुज्जीवित) स्वयं सहायता समूहों की संख्या
01F02	वित्तीय वर्ष के दौरान परिक्रामी निधि प्राप्त स्वयं सहायता समूहों की संख्या
01F03	वित्तीय वर्ष के दौरान संचयी निधि से निवेशित स्वयं सहायता समूहों की संख्या
03E	भूमिहीनों को भूमि – वितरण
03 E 01	कुल वितरित भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)
03 E 02	अनु० जाति को वितरित कुल भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)
03 E 03	अनु० जन जाति को वितरित कुल भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)
03 E 04	अन्य को वितरित कुल भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)
04B	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम
04 B 01	किए गए निरीक्षणों की संख्या
04 B 02	पाई गई अनियमितताओं की संख्या
04 B 03	सुधार की गयी अनियमितताओं की संख्या
04 B 04	दायर दावों की संख्या
04 B 05	निपटाये गये दावों की संख्या
04 B 06	लम्बित अभियोजन मामलों की संख्या
04 B 07	दायर अभियोजन मामलों की संख्या
04 B 08	निर्णीत अभियोजन मामलों की संख्या
05A	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली / राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
05 A 02	खाद्य सुरक्षा: लक्षित जन वितरण प्रणाली (ए०पी०एल० + बी०पी०एल० + ए०ए०वाई०)
05 B 02	खाद्य सुरक्षा: गरीबी रेखा से नीचे (बी०पी०एल०)
05 D 02	खाद्य सुरक्षा: अन्त्योदय अन्य योजना (ए०ए०वाई०)
05 E 02	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन खाद्यान्न – सामान्य
05 F 02	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन खाद्यान्न – आवश्यकता आधारित

06A	ग्रामीण आवास – इंदिरा आवास योजना
	06 A 01 निर्मित आवास की संख्या
06B	शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग / निम्न आय समूह आवास
	06 B 01 निर्मित आवास की संख्या
07A	ग्रामीण क्षेत्र – राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
	07 A 03 आच्छादन बसावट – आंशिक एवं छुटा हुआ।
	07 A 04 जल की गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों का आच्छादन
08D	निर्मल भारत अभियान
	08 D 01 गृह वार शौचालय निर्माण की संख्या
08E	सांस्थानिक प्रसव
	08 E 01 संस्थानों में प्रसव की संख्या
10A	सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार
	10 A 02 अनुसूचित जाति उप-योजना एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदत्त अनुसूचित जाति के परिवारों की संख्या
	10 A 03 प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति के अन्तर्गत सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या
12A	समेकित बाल विकास सेवा योजनाओं (आई०सी०डी०एस०) का वैश्वीकरण
	12 A 01 कार्यान्वित आई०सी०डी०एस० ब्लॉक की संख्या (संचयी)
12B	क्रियाशील आंगनबाड़ियाँ
	12 B 01 क्रियाशील आंगनबाड़ियों की संख्या (संचयी)
14A	सात-सूत्री चार्टर के अन्तर्गत सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों की संख्या
	14 A 01 सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों की संख्या
15A	वनरोपण (सार्वजनिक एवं वन भूमि)
	15 A 01 पौधा रोपण का क्षेत्रफल
	15 A 02 रोपित पौध की संख्या
17A	ग्रामीण सड़क – प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY)
	17 A 01 निर्मित सड़क की लम्बाई (किलोमीटर में)
18B	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY)
	18 B 01 विद्युतीकृत गाँव
18D	पम्प सेटों का ऊर्जाकरण
	18 D 01 ऊर्जाकृत पंपसेटों की संख्या
18E	विद्युत आपूर्ति
	18 E 02 की गयी विद्युत आपूर्ति

बिहार सरकार
कृषि विभाग।

ज्ञापांक:-पी०पी०एम०-२२४/२०११ ५१८४ /कृ०, पटना, दिनांक ८/१२/ २०१६

प्रतिलिपि:- मंत्रिमंडल सचिवालय के संकल्प, ज्ञापांक-382, 383 एवं 384 दिनांक 18.11.2016 की प्रति सहित कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, पटना/बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी, मीठापुर, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी परियोजना निदेशक/सभी सहायक निदेशक, रसायन/उद्यान/पौधा संरक्षण/मुख्यालय के सभी कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Prashant श्री०प०१६
(धनन्जयपति त्रिपाठी)
निदेशक, पी०पी०एम०।

ज्ञापांक:-पी०पी०एम०-२२४/२०११ ५१८४ /कृ०, पटना, दिनांक ८/१२/ २०१६

प्रतिलिपि:- ~~अप~~ निदेशक (शाष्य) सूचना, बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने तथा सभी संबंधित पदाधिकारियों को मेल करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Prashant श्री०प०१६
निदेशक, पी०पी०एम०।